

संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल, संगरुर, पंजाब - १४८ १०६ (शिक्षा मंत्रालय के अधीन)

Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowal, Distt. Sangrur, Punjab – 148106

(Deemed To Be University under Ministry of Education)

Ref. No. SLIET/Admn./A3/2024-25/5790-5794

Dated: 12.02.2025

कार्यालय आदेश /OFFICE ORDER

जैसा कि प्रबंधन बोर्ड द्वारा 28.10.2024 को आयोजित अपनी 53वीं बैठक में एजेंडा आइटम संख्या 53.18 के तहत अनुमोदित किया गया है, निम्नलिखित को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है:

- एसएलआईईटी कर्मचारियों को पैनलबद्ध डॉक्टर/अस्पताल/डायग्नोस्टिक स्कैन/इमेजिंग सेंटर से चिकित्सा उपचार लेने के लिए चिकित्सा अधिकारी एसएलआईईटी स्वास्थ्य केंद्र के रेफरल से छूट दी गई है। प्रतिपूर्ति सीजीएचएस दरों के अनुसार की जाएगी।
- यंस्थान के कर्मचारियों द्वारा दावा किए गए सभी पैनलबद्ध डॉक्टर/अस्पताल/डायग्नोस्टिक स्कैन/इमेजिंग सेंटर से मेडिकल बिल प्रतिपूर्ति के लिए सीधे संस्थान के लेखा विभाग को जमा किए जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी एसएलआईईटी द्वारा पर्चे/ नुसख़ा के मामले में, चिकित्सा बिलों को एसएलआईईटी स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

The following is approved with immediate effect in view of the approval accorded by Board of Management in its 53^{rd} meeting held on 28.10.2024 vide Agenda Item No. 53.18:-

- The SLIET employees are exempted from Referral of Medical Officer SLIET Health Centre for taking medical treatment from Empanelled Doctor/ Hospital/Diagnostic Scan/Imaging Centre restricting the reimbursement will be as per CGHS rates.
- 2. The medical bills from all the empanelled Doctor/ Hospital/Diagnostic Scan/Imaging Centre claimed by the employees of the institute will be submitted directly to the Accounts Department of the Institute for reimbursement. In case of prescription by Medical Officer SLIET, the medical bills should be routed through SLIET Health Centre.

This is approved by the competent authority on 06.02.2025.

REGISTRAR

- Director, SLIET- for kind information, please. निदेशक, एसएलआईईटी- कृपया जानकारी के लिए।
- 2 All Deans/HoD's/ Section Incharges -कृपया आवश्यक कार्रवाई के लिए
- 3 प्रोफेसर प्रभारी (लेखा एवं लेखापरीक्षा)
- 4 Associate Dean (ERP/SAMARATH & ACSS)-with a request to upload on the institute wesite
- 5 Chairperson , Health Centre & Medical Officer
- 6 File copy फ़ाइल प्रति